समक्ष– माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

970

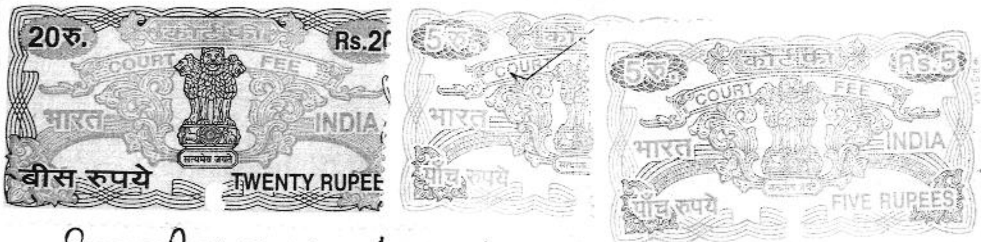

निगरानी – 3647/2018/उमरिया/भू.रा.

राम प्रताप पिता हीरा लाल तेली

निवासी मढ़ऊ तहसील मानपुर

जिला उमरिया म0प्र0 ....**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

म0प्र0 शासन ....**उत्तरार्थी**

दिनांक 13.6.18 को श्री कपिल कुमार कुशवाहा अधि० द्वारा प्रस्तुत। पे० दि० 21-6-18 13.6.18

श्रीमान अपर कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/स्व0निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25/9/17 के विरूद्व पुनरीक्षण,

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर विनय करता है:–

मामले के तथ्य

श्रीमान नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 91/अ19(4)/1990–91 पुनरीक्षणकर्ता को विवादित भूमियों काम0प्र0 कृषि प्रयोजन क लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत भू अधिकार प्रदान किया गया था। जिसे श्रीमान अपर कलेक्टर उमरिया द्वारा दिनांक 25/9–17 को जरिये प्रकरण कमांक 12/स्व0निग0/2015–16 निरस्त कर दिया गया था जिससे व्यथित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3647/2018/उमरिया/भू.रा. रामप्रताप विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 12/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01/2/2019 सदस्य	